

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां0नि0/अग्रिम अध्ययन/2019/616

दिनांक:- 06-03-2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।	पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1.	चेनसुख	एम0ए0(इकोनोमिक्स) फाईनल	सहायक निदेशक, आ0एवं सां0विभाग, नागौर
2.	रामदयाल	एम0ए0(इकोनोमिक्स) प्रीवियस	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मेड़तासिटी, नागौर
3.	निखलेश जैन	स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा- 2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मालपुरा, टोंक
4.	लीलाधर स्वामी	यू.जी.सी. नेट-2019	सहायक निदेशक, आ0एवं सां0विभाग, नागौर
5.	दीपक डिन्डोर	ए.एस.ओ-2018, एम0ए0(इकोनोमिक्स)फाईनल, प्राध्यापक(अंग्रेजी)-2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा
6.	राजकुमार स्वामी	ए.एस.ओ-2018, स्कूल व्याख्याता(गणित)-2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, लुणकरणसर, बीकानेर
7.	मेघराज पटेल	एम0ए0 फाईनल	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, गोगुन्दा, उदयपुर
8.	गिरधारी कारेल	एम0ए0(इतिहास) फाईनल	सहायक निदेशक, आ0 एवं सां0 विभाग, नागौर
9.	अभय सिंह चौहान	स्कूल व्याख्याता(वाणिज्य)-2018	सहायक निदेशक, आ0एवं सां0विभाग, बांसवाड़ा
10.	हरिओम कुमार शर्मा	एम0ए0(राजनीति विज्ञान) प्रीवियस	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
11.	मुकेश कुमार नैण	भारतीय सिविल सेवा 2019, राजस्थान राज्य अधिनस्थ सेवा 2019, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, कॉलेज लेक्चरर 2019, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा लो.से.आ., असिस्टेंट प्रोफेसर, अरुणाचल प्रदेश लो.से.आ., स्कूल व्याख्याता 2018 संस्कृत शिक्षा, स्कूल व्याख्याता-2018, आर.पी.एस.सी. पीजीटी (केवीएस), पीजीटी(एन.वी.एस.), कनिष्ठ मार्केटिंग ऑफिसर(आर.पी.एस.सी.)	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़
12.	दीपक बेनीवाल	आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा-2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, निवाई, टोंक

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राज्य के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश देय होगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप विनागर)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),